









कार्यालय नगर पालिका परिषद गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

गोहद दिनांक 28-12-2019

सार्वजनिक सूचना बावत् नामान्तरण

सर्व साधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न लिखित आवेदकों के आवेदन बावत् नामान्तरण भवन/भूमि स्वामित्व व अधिपत्य प्राप्त होकर नगर पालिका अभिलेखों में नाम परिवर्तन बावत् विचारधीन है। जिस किसी को इस बावत् कोई आपत्ति हो तो वह सूचना जारी दिनांक से अन्दर म्याद 30 दिवस अपनी लिखित उज्ज्वरी संबंधित अभिलेखों व स्वामित्व प्रमाणों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अबाधि के बाद प्राप्त कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

विवरण

Table with 7 columns: क्र., प्र.क्र., नाम आवेदक व पता, जिसकी बजाय नामान्तरण चाहा गया है, वार्ड क्र./गली मोहल्ला का नाम जहां पर भवन/भूखण्ड स्थिति है, स्वामित्व के प्रमाण जिसके आधार पर नामान्तरण चाहा गया है, विवरण भवन/भूमि. Rows 1-31.

नई पेयजल नीति से छोटे-छोटे गाँव भी होंगे लाभान्वित : मंत्री पांसे

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि राज्य सरकार की नई पेयजल नीति से गर्मी के मौसम में बड़े गाँवों के साथ छोटे गाँव भी नल-जल योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नई नीति में छोटे और दूर-दराज के गाँवों में नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। श्री पांसे ने बताया कि जिन बसाहटों में गर्मी के मौसम में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनमें नए हेडपम्प लगाए जायेंगे।

300 मीटर के दायरे में एक शासकीय पेयजल स्रोत : मंत्री श्री पांसे ने बताया कि नई पेयजल नीति में बसाहटों के हित में आवश्यक बदलाव किये गये हैं। इनके मुताबिक बसाहट में न्यूनतम 300 मीटर के दायरे में कम से कम एक शासकीय पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में बसाहट के 500 मीटर के दायरे में एक पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी।



व्यावसायिक वाहनों पर 90 प्रतिशत कर व शास्ति में छूट

भोपाल। मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशन 2 अगस्त 19 के पूर्व सम्पन्न रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों के कर तथा शास्ति में छूट प्रदान की गई है। यह छूट 90 प्रतिशत शर्तों के तहत की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यावसायिक वाहन, जिनका टेक्स और शास्ति (पेनल्टी) करने पर एक मुश्त भुगतान करने पर छूट प्रदान की जाएगी। 2 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 31 मार्च 2020 तक छूट दी जाएगी।

पचमढ़ी उत्सव में पातालकोट की रसोई को मिली वाहवाही

भोपाल। होशंगाबाद जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आयोजित महोत्सव में कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई। महोत्सव में लगभग 97 स्टॉल लगाए गए, जिनमें होशंगाबाद के 22 स्टाल थे। ये स्टॉल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, हथकरघा संचालनालय, मुगनयनी एंगोरियम, भाऊ साहब भुस्कुटे समिति, रेशम संचालनालय, माटी कला बोर्ड और स्व-सहायता समूह जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के होशंगाबाद ने लगाए थे।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के स्टाल में प्रमुख रूप से चंदेरी साड़ियाँ, खादी वस्त्र, रेशम वस्त्र, माटी से निर्मित सामग्री, बांस निर्मित सामग्री, स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित अचार, अगरबत्ती, बड़ी, बेल मेटल, जूट, वुडन आर्ट आदि सामग्रियों ने पर्यटकों को आकर्षित किया। महोत्सव में अन्य जिलों द्वारा 71 स्टॉल लगाए गए। इन जिलों में प्रमुख रूप से हरदा, बैतुल, भोपाल, रायसेन, इंदौर, खरगोन, सागर, सीहोर, उज्जैन, मंदसौर, बालाघाट, छतरपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, राजगढ़, देवास थे। प्रमुख स्टॉल्स में पड़ना बुनकर राजगढ़ की चादरें, अशोकनगर की चंदेरी साड़ियाँ, भैरवगढ़ उज्जैन प्रिंट के सूट, गाउन, मंदसौर जिले की मीनाकारी जेवेलरी, बैतुल जिले के बेल मेटल तथा देवास जिले के लेदर आइटम थे। मेला स्थल पर फूड जॉन में 7 स्टॉल लगाए गए। इनमें पातालकोट की रसोई ने खूब वाहवाही लूटी। छिंदवाड़ा जिले के विशिष्ट अंचल पातालकोट की रसोई में प्रमुख रूप से मक्के की रोटी, कुटीरी भात, बल्लर साग, टमाटर की चटनी, बरबटी दाल प्रमुख थे। पचमढ़ी उत्सव में आए पर्यटकों ने इन लोक-व्यंजनों की सराहना की।

2019- विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों का वर्ष

भोपाल। मध्यप्रदेश के लोकोन्मुखी प्रशासनिक इतिहास में निःसंदेह, वर्ष 2019 विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों तथा सार्थक आयोजनों के वर्ष के रूप में याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में श्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का अपना पहला साहसिक निर्णय लिया। नतीजतन, लगभग 20 लाख किसानों को अब तक राहत मिली और बाकी को राहत मिलना जारी है। यह एक बहुप्रतीक्षित निर्णय था। किसानों द्वारा की गई आत्म-हत्याओं के लिए मुख्य रूप से ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की विफलता जैसे कारण बताए गए थे। प्रासंगिक राजस्व कानूनों के तहत किसानों को सामान्य प्रावधानों से अलग हटकर राहत की जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकार ने तुरंत कृषि ऋणों को माफ करने का अपना पहला आदेश जारी कर अपने पहले वादे का सम्मान किया। खाली हो चुके सरकारी खजाने को देखते हुए निर्णय पर प्रारंभिक रूप से संदेह व्यक्त किया गया। यह प्रभावशाली शुरुआत थी। इसके बाद विवेकपूर्ण फैसलों की एक श्रृंखला-सी बन गई। शासन की मजबूती देना और नई चुनौतियों का सामना कर समाधान निकालना आवश्यक था। वर्ष के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि पहले की सरकार की घोषणाओं और प्रयासों के लिए बजटीय प्रावधान ही नहीं किए गए थे। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गैरकानूनी रूप से साहूकारों का प्रचलन हमेशा एक समस्या रही है। छोटी-छोटी रकम की जरूरतों के लिए जनजातीय परिवारों को अनौपचारिक रूप से काम कर रहे साहूकारों पर निर्भर रहना होता है और वे तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई वर्षों तक कर्ज से दबे रहते हैं। कर्ज में डूबे ऐसे आदिवासी परिवारों के पक्ष में दूसरे साहसिक निर्णय ने काफी हलचल पैदा की। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा ब्याज दर पर उधार देने की साहूकारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई।





